SHAHDOL Division

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस नियर ताजुल मसाजिद भोपाल फोन–0755–2543175,2737341
ई–मेलः mp_ wakfboard@rediffmail.com

क्र. /न. क. 339/13/बोर्ड गठन/बोर्ड / D.NO. 7260 /भोपाल, दिनांक 13.08.2013
स्पीडपोस्ट D.NO. 7385 /-

प्रति,

श्री [illegible]

[illegible]

[illegible]

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. वक्फ बोर्ड का कार्यकाल 30.07.2013 को समाप्त होने पर नये बोर्ड के गठन होने की कार्यवाही की जा रही है जिसमें वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 14 के अन्तर्गत एक लाख से अधिक आमदनी वाले वक्फों के मुतावल्लियों में से एक मुतवल्ली का निर्वाचन किया जाना है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44 के अंतर्गत आपके द्वारा वांछित वार्षिक बजट कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 के अंतर्गत आपके द्वारा वार्षिक हिसाबात वर्ष .... से .... तक भी कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किये है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 72 के तहत वक्फ की चंदा निगरानी जमा करने के लिये आपको डिमाण्ड नोटिस भेजा गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। नोटिस अनुसार आपकी और से बकाया चंदा निगरानी जमा नहीं किया गया है।

इस प्रकार आपके द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 44, 46, एवं 72 का उल्लंघन किया गया है। अतः आप इस सूचना प्राप्ती के 7 दिवस के भीतर वक्फ अधिनियम की धारा 44, 46, एवं 72 के अंतर्गत वांछित बजट, हिसाबात, व चंदा निगरानी की बकाया राशि जमा करें, अन्यथा आप बोर्ड के गठन हेतु मुतवल्ली के निर्वाचन में भाग लेने एवं अभ्यार्थी होने तथा मतदान करने से निर्योग्य माने जायेगें।

(प्रशासक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– एक

(दाऊद अहमद ख़ान)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक़्फ़ बोर्ड, भोपाल

फोन : 2543175, 4256067
फैक्स : 0755-2543175

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

ताज केम्पस, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल 10-04-2013

शाखा आडिट I नस्ती क्र. **डिमाण्ड नोटिस** सन् जावक नं. दिनांक

डिमाण्ड नोटिस तहत दफा 72 (1) वक्फ एक्ट 1995 3308

नाम मुतवल्ली कमेटी मय पता : ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

हिसाब प्राप्त होने का विवरण अगर हों. [illegible]

केवल 7595/- रूपये निर्धारित किया गया चन्दा निगरानी नीचे लिखे अनुसार पूर्व राशि को जोड़कर दो सप्ताह के भीतर भेजे और हिसाबात साल x x से लगायत साल 2012-13 भी अन्दर 15 दिनों में भेजें।

वक्फ का नाम	क्रं.	सन्	कुल आय हिसाबात के अनुसार	धारा 72 (1) के अर्न्तगत कम की गई राशि	शुद्ध आय	राशि जिस पर चंदा निगरानी निर्धारित किया गया है	दर	बोर्ड को अदा की जाने वाली राशि	विवरण	विवरण रजिस्टर अनुसार
		2012 2013	-	-	-	108500/-	7%	7595/-	-	
						[illegible]		7595/-		

दीगर रिमार्कस के लिए अगर हो पीछे देखें।

नोट : दफा 72 (4) के अनुसार चन्दा निगरानी का भुगतान वक्फ के दूसरे खर्च किये जाने से पहले भुगतान की जाना चाहिए जो भुगतान अदा न किये जाने पर शेष मालगुज़ारी की सूरत में वसूल की जाएगी।

हस्ता. क्लर्क 7/4/13

हस्ता. इंचार्ज शाखा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल